जगतांबा देवी

बनाम

हेमराम व अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 257/2008)

फरवरी 4, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सथशिवम, 'जेजे।]

निर्णय- कारणों का अभिलेखन करना -आवश्यकता - उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को उल्लेखित किये बिना खारिज किया गया- मामले को उच्च न्यायालय को पुनः नये सिरे से तय करने हेतु लौटाया गया।

अपीलार्थी द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष एक निजी परिवाद अंतर्गत धाारा 332, 353 504/506 भारतीय दण्ड संहिता में प्रस्तुत किया गया। मजिस्ट्रेट द्वारा प्रारम्भिक साक्ष्य लेखबध्द करने के पश्चात अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्घ सम्मन जारी किये गये। कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा मामले की पत्रावली को अस्वीकार करने के आदेश किये गये। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र स्वयं को आरोप मुक्त किये जाने के लिये प्रस्तुत किया गया कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पत्रावली पर कार्यवाही के आदेश किये गये है।

अतः मजिस्ट्रेट के समक्ष उसी अपराध के लिये कार्यवाही नहीं चल सकती। दो अभियुक्त इसी आधार पर आरोप मुक्त किये गये। आरोप मुक्त के आदेश के खिलाफ प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका उच्च न्यायालय द्वारा संक्षिप्त रूप से खारिज की गइ। इसलिए यह अपील प्रस्तुत की गइ है।

अपील स्वीकार की गइ तथा मामले को उच्च न्यायालय को वापिस भेजा गया।

तय 1.1 - आक्षेपित आदेश एकदम बिना कारणों के पारित किया गया है। इसलिए अपास्त किया गया तथा पुनः नए सिरे से तय करने हेतु लौटाया गया। कारण किसी आदेश में स्पष्टता लाते है। न्यायहित को ध्यान में रखते हुये उच्च न्यायालय को कारण दिये जाने चाहिए। यद्यपि कारण संक्षिप्त में हो सकते हैं परन्तु ये संक्षिप्त कारण आदेश में मस्तिष्क का प्रयोग दर्शाते हैं। कारणों की अनुपस्थिति ने उच्च न्यायालय के फैसले को अस्थिर बना दिया है।

कारण, निर्णय देने वाले व्यक्ति के विवादित प्रश्न और निर्णय के बीच के सम्बन्ध को दर्शाते हैं। कारण, व्यक्तिपरक्तता को वस्तुनिष्ठता से प्रतिस्थापित करते हैं। कारणों को अंकित किये जाने पर बल दिये जाने का कारण यह है कि निर्णय किसी रहस्यमय व्यक्ति के गूढ चेहरे को दर्शाता है व निर्णय का कारण रहित होना न्यायालय को अपना अपीलीय विवेकाधिकार या न्यायिक विवेकाधिकार का उपयोग करना असंभव बना

देता है। जिससे निर्णय की न्यायिक वैद्यता तय नहीं हो पाती है। कारण जानने का अधिकार एक सक्षम न्यायिक तंत्र का आवश्यक अंग है। कारण कम से कम इतने पर्याप्त होने आवश्यक हैं, जिससे न्यायालय द्वारा अपने विवेक का उपयोग किया जाना संभव होता हो। दूसरा शब्दों में, प्रभावित पक्षकार को यह जानकारी हो सके कि उसके विरूद्घ निर्णय क्यों हुआ। प्राकृतिक न्याय की एक आवश्यक जरूरत निर्णयों में कारण का उल्लेखित किया जाना आवश्यक है। ''रहस्यमय व्यक्ति का गूढ चेहरा'' आमतौर पर न्यायिक या अर्धन्यायिक प्रदर्शन के साथ असंगत है।

ब्रीन बनाम अमलगमेटेड अभियांत्रिकी संघ 1971 (1) आॅल इ.आर. 1148 ; अलेक्जेण्डर मशीनरी (डूडले) लि0 बनाम क्रेबट्री 1974 एल सी आर 120 - संदर्भित

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील नम्बर 257 / 2008

शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 11-10-2006 आपराधिक आर संख्या 111/2006

अपीलार्थी की ओर से के के मोहन

प्रत्यर्थीगण की ओर से वी एन रघुपति

डॉ. अरिजीत पसायत द्वारा न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकृत।

2. इस अपील में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की ओर से धारा 397 सपठित धारा 401 दण्ड प्रया संहिता में प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका को खारिज किये जाने के आदेश को चुनौती दी गई है।

3. प्रकरण की पृष्ठभूमि के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है वर्ष 2001 में अपीलार्थी ग्राम पंचायत रौर तहसील पालमपुर जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश में प्रधान था और दिसम्बर 2005 तक प्रधान रहा। दिनांक 06-01-2003 को गांव की एक सडक के निमार्ण हेतु स्वीकृति मिली जिसके लिए पंचायत को 20000 रूपये स्वीकृत हुए। अपीलार्थी के अनुसार इस अपील के प्रत्यर्थी को जब 20000 रूपये स्वीकृत होने की जानकारी मिली तब उसके द्वारा अपीलार्थी पर, जिस सडक के लिए राशि स्वीकृत हुइ थी उसके बजाय स्वयं के घर से सडक डालने का दबाब डाला गया। उसके पश्चात सडक का निर्माण कार्य पररम्भ हुआ। दिनांक 30-10-2003 को जब निर्माण कार्य चल रहा था तब प्रत्यर्थी निर्माण स्थल पर लगभग 04:30 पी.एम. पर आये और परिवादी/अपीलार्थी से गाली गलौच की एवं उसे इसके परिणाम भुगतने की धमकी दी। उन्होंने अपीलार्थी को चोट कारित की और आपराधिक बल का प्रयोग कर धक्का दिया और इस प्रकार एक लोक सेवक को उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका गया। दिनांक 22-10-2003 को ग्राम पंचायत द्वारा एक परिवाद पुलिस में दर्ज करवाया गया

परन्तु जब कोइ कार्यवाही नहीं की गइ तब अपीलार्थी द्वारा एक व्यक्तिगत परिवाद अपराध अंतर्गत धारा 332, 353, 504/506 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध घटित होने के सम्बन्ध में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रारम्भिक साक्ष्य दर्ज किये जाने के पश्चात आदेश दिनांक 01-07-2004 के द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ सम्मन जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये। दिनांक 28-09-2004 को माननीय कार्यपालक न्यायाधीश द्वारा पत्रावली को बन्द करने के आदेश इस आधाार पर दिये गये कि कालन्दर समय सीमा से वर्जित है। इसलिए आगे कोइ कार्यवाही आवश्यक नहीं है। अपीलार्थी द्वारा यह आक्षेप लिया गया कि उसे उक्त कार्यवाही की कोई सूचना नहीं दी गइ एवं न तो उसे न ही उसके अधिवक्ता को उक्त आदेश पारित करने से पूर्व सुना गया। दिनांक 20-07-2005 को अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों को निरस्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी समान अपराध के लिये विचारित नहीं किये जा सकते। कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-09-2004 का संदर्भ प्रस्तुत किया गया। दिनांक 07-08-2005 को नोटिस प्राप्त करने के पश्चात अपीलार्थी द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जिसमें उसके द्वारा यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया कि दण्ड प्रकिया संहिता 300 उक्त कार्यवाही पर लागू नहीं होती है। यह कथन किया गया कि दोहरे दण्ड कि अवधारणा धारा 107/150 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही

पर लागू नहीं होती है। विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पालमपुर द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया और प्रार्थी संख्या 1 हेमराज तथा प्रार्थी संख्या 2 स्वरूपचंद के विरूद्घ कार्यवाही को यह कहते हुये स्वीकार किया गया कि प्रार्थी समान अपराध के लिये विचारित नहीं किये जा सकते।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की गइ थी जिसे आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 111/2006 के रूप में क्रमांकित किया गया था।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सम्मन जारी करने के बाद माननीय मजिस्ट्रेट को आरोपी व्यक्तियों को आरोपमुक्त करने का निर्देश जारी नहीं करना चाहिए था। किसी भी स्थिती में उच्च न्यायालय द्वारा बिना कोइ कारण बताये पुनरीक्षण याचिका को संक्षिप्त तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता है। यह ऐसा मामला नहीं है, जहां यह नहीं कहा जा सके कि इसमें बहस योग्य कोइ बिन्दु नहीं है। विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेट द्वारा पारित आदेश कानूनन पूर्णतः गलत है और उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से हस्तक्षेप करना चाहिए था।

5. प्रत्यर्थीयों के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षण याचिका में कोइ दम नहीं है इसलिए उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका को सही खारिज किया है।

6. उच्च न्यायालय का आदेश इस प्रकार हैः-

''सुना गया, खारिज किया गया।''

यह पूर्णरूप से अतार्किक है। कारण आदेश में स्पष्टता का परिचय देते हैं। न्याय के सरलतम विचार में उच्च न्यायालय को इसके लिए कारण उल्लेखित करना चाहिए फिर चाहे वह कितना भी संक्षिप्त क्यों न हो आदेश में मस्तिष्क का प्रयोग किया जाना प्रकट होना चाहिए। कारणों के अभाव ने उच्च न्यायालय के निर्णय को अस्थिर बना दिया है।

7. प्रशासनिक आदेशों के सम्बन्ध में भी लार्ड डेनिंग एम.आर. इन ब्रीन बनाम अमलगमेटेड अभियांत्रिकी संघ 1971 (1) आॅल इण्डिया रिपोर्टर 1148 में यह अवलोकन किया गया है ''कारण बताना अच्छे प्रशासन के बुनियादी सिद्घान्तों में से एक है।'' अलेक्जेण्डर मशीनरी (डूगले) लि- बनाम क्रेबट्री (1974 एल सी आर 120) में यह देखा गया है ''कारण निर्णय लेने वाले के मस्तिष्क में विवाि दित प्रश्न निर्णय या निष्कर्ष के बीच जीवंत सम्बन्ध है।'' कारण विषयवस्तु को उददेश्य के साथ प्रतिस्थापित करता है। कारण दर्ज करने पर बल दिया जाता है ताकि यदि निणर्य अनिर्वचनीय रहस्यों को उजागर करता है, तो यह अपनी चुप्पी से

न्यायालयों के लिए अपना अपीलीय कार्य या न्यायिक पुनरीक्षण/समीक्षा की शक्ति का प्रयोग लगभग असंभव बना देता है। कारण जानने का अधिकार एक मजबूत न्यायप्रणाली का अपरिहार्य हिस्सा है। कारण न्यायालय द्वारा मस्तिष्क के प्रयोग को इंगित करने हेतु पर्याप्त होना चाहिए। एक अन्य तर्क यह भी है कि प्रभावित पक्ष यह जान सके कि यह निर्णय उसके विपरित क्यों गया है। प्राकृतिक न्याय की हितकारी आवश्यकताओं में से एक आदेश दिये जाने के कारणों को स्पष्ट करना है। दूसरे शब्दों में कहा जाये तो ''रहस्यमय व्यक्ति का अस्पष्ट चेहरा'' आमतौर पर न्यायिक या अर्धन्यायिक प्रदर्शन के साथ असंगत है।

8. हम उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करते है एवं मामले को नये सिरे से विचार के लिये उच्च न्यायायल को भेजते हैं। यह कहने कि आवश्यकता नहीं है कि उच्च न्यायालय पुनरीक्षण याचिका में एक तर्कसंगत आदेश पारित करेगा।

9. अपील स्वीकार की जाती है।

के. के. टी. अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विजय सिंह महावर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।